

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 08, बुधवार, शके 1947- जनवरी 28, 2026 Magha 08, Wednesday, Saka 1947- January 28, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा
अधिसूचनाएं।

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 28, 2026

एस.ओ.156 :-राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान अधिनियम, 2024 (2025 का अधिनियम सं. 9) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान नियम, 2026 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- “अधिनियम” से राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान अधिनियम, 2024 (2025 का अधिनियम सं. 9) अभिप्रेत है;
- “समिति” से इन नियमों के नियम 5 में विनिर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;
- “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और
- “राज्य सरकार” से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किये गये हैं।

3. सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा.- (1) अधिनियम के अधीन पात्र लोकतंत्र के सेनानियों को निम्नलिखित सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी, अर्थात्:-

- प्रति मास बीस हजार रुपये सम्मान राशि;
- प्रति मास चार हजार रुपये चिकित्सा सहायता; और
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की लोकल और एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा।

(2) लोकतंत्र के सेनानियों की मृत्यु की दशा में, उसका पति/उसकी पत्नी उपर्युक्त उप-नियम (1) के खंड (i) और (ii) में यथा विनिर्दिष्ट सम्मान राशि, और चिकित्सा सहायता प्राप्त करेगा/करेगी।

4. लागू होना.- (1) अधिनियम के अधीन सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा की मंजूरी के लिए, पात्र लोकतंत्र का सेनानी राजनैतिक या सामाजिक कारण से उसके जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रहने के समर्थन में जेल अधीक्षक या, यथास्थिति, पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र और इस आशय के शपथ-पत्र कि वह किसी अन्य राज्य या जिले से पेंशन या सम्मान राशि प्राप्त नहीं कर रहा/रही है, के साथ प्ररूप-1 में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी। तथापि जहां निरुद्ध रखे जाने से संबंधित शासकीय अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, वहां आवेदक का स्वयं का शपथ-पत्र और अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र, स्वीकार किया जायेगा:

परन्तु वे लोकतंत्र के सेनानी जिनके पक्ष में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 के अधीन पेंशन संदाय आदेश जारी किये गये थे, उनसे इन नियमों के अधीन नया आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(2) लोकतंत्र के सेनानी की मृत्यु की दशा में, उसका पति/उसकी पत्नी अधिनियम के अधीन सम्मान राशि और चिकित्सा सहायता की मंजूरी के लिए, अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवाह प्रमाणपत्र या इसका साक्ष्य देने वाला कोई अन्य प्रमाण कि वह दिवंगत लोकतंत्र सेनानी का पति या की पत्नी है, मृत्यु प्रमाणपत्र और अधिनियम द्वारा निरसित किये गये अधिनियम या नियमों के अधीन सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा के मंजूरी आदेश की प्रति के साथ प्ररूप-2 में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।

5. समिति और इसके कृत्य.- (1) अधिनियम के अधीन सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा की मंजूरी के लिए प्राप्त किये गये आवेदनों की संवीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति होगी। समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	अधिकारी	पदनाम
1.	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	जिला जेल अधीक्षक	सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य-सचिव।

(2) इन नियमों के नियम 4 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर समिति, आवेदन की संवीक्षा करेगी और आवेदक की पात्रता या अपात्रता के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को सिफारिश करेगी।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्, अधिनियम के अधीन सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा की मंजूरी या नामंजूरी का आदेश जारी कर सकेगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट उस लोकतंत्र के सेनानी को, जिसके पक्ष में उप-नियम (3) के अधीन मंजूरी आदेश जारी किया गया है, प्ररूप-3 में पहचान पत्र जारी करेगा। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 के अधीन जारी किया गया पहचान पत्र इन नियमों के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा।

(5) उप-नियम (3) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को प्ररूप-4 में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(6) वे लोकतंत्र के सेनानी, जो अधिसूचना संख्यांक प.9(1)/सा.प्र.वि./6/2023 दिनांक 14.03.2024 के अनुसार पेंशन और चिकित्सा सहायता प्राप्त कर रहे हैं, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करेंगे।

प्ररूप-1

[नियम 4(1) देखिए]

सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा के लिए आवेदन

प्रेषिति

फोटो

जिला मजिस्ट्रेट

.....

1. आवेदक का नाम:
2. पिता का नाम:
3. वर्तमान पता:
4. निरुद्ध रखे जाने के समय पता:
5. जन्म तिथि:
6. पति या पत्नी का नाम:
7. राजस्थान के मूल निवासी होने का सबूत:
8. जेल/पुलिस थाने में निरुद्ध रखे जाने की कालावधि (निरुद्ध रखे जाने और छोड़े जाने की तारीख):
9. जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रखे जाने के स्थान और जिले का नाम जहां यह अवस्थिति है:
10. गतिविधियों के ब्यौरे जिनके लिए वह निरुद्ध रहा था/रही थी:
11. विधि के उपबंध जिनके अधीन वह जेल/पुलिस थाने में निरुद्ध रहा था/रही थी:
12. छोड़े जाने का कारण (क्या वह क्षमा मांगने या नहीं मांगने के पश्चात् छोड़ा गया/छोड़ी गयी थी):

मैं इसके द्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि ऊपर दिये गये ब्यौरे मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और जानकारी में सत्य हैं।

संलग्नक:

1. निरुद्ध किये जाने का प्रमाणपत्र।
2. इस आशय का शपथ-पत्र की वह किसी अन्य राज्य/जिले से पेंशन/सम्मान राशि प्राप्त नहीं कर रहा/रही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण: यदि, जहां जेल/पुलिस थाने में निरुद्ध रहने से संबंधित शासकीय अभिलेख उपलब्ध नहीं है, आवेदक अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार शपथ-पत्र और प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।

प्ररूप-2

[नियम 4(2) देखिए]

सम्मान राशि और चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए दिवंगत लोकतंत्र के सेनानी के पति या पत्नी द्वारा आवेदन

प्रेषित

जिला मजिस्ट्रेट

.....
.....

फोटो

1. आवेदक का नाम:
2. पति/पत्नी का नाम:
3. पता:
4. क्या आवेदक राजस्थान का मूल निवासी है:
5. पति/पत्नी की मृत्यु की तारीख:

संलग्न:

- (i) विवाह प्रमाणपत्र या इसका साक्ष्य देने वाला कोई अन्य प्रमाण कि वह दिवंगत लोकतंत्र के सेनानी का पति या की पत्नी है;
- (ii) लोकतंत्र के सेनानी का मृत्यु प्रमाणपत्र; और
- (iii) दिवंगत लोकतंत्र के सेनानी के पक्ष में सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा के मंजूरी आदेश की प्रति।

मैं इसके द्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि ऊपर दिये गये ब्यौरे मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और जानकारी में सत्य और सही हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप-3

[नियम 5(4) देखिए]



राजस्थान सरकार

पहचान पत्र

लोकतंत्र के सेनानी

फोटो

नाम:
पिता का नाम:
पति/पत्नी का नाम:
मंजूरी आदेश सं./तारीख:
जन्म तिथि:
निवास स्थान का पता:
मोबाइल नं.:

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्ररूप-4

[नियम 5(5) देखिए]

अधिनियम की धारा 9 के अधीन अभ्यावेदन

प्रेषिती

राज्य सरकार

जरिए सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग

राजस्थान

मैं पुत्र/पत्नी श्री आयु वर्ष निवासी इन नियमों के नियम 5 के उप-नियम (5) के अधीन इसके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करता हूँ और कथन करता हूँ कि,-

1. मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ।
2. मैं राजस्थान का लोकतंत्र का सेनानी हूँ और आपातकाल की कालावधि के दौरान जेल में निरुद्ध रहा हूँ।
3. जेल में निरुद्ध रहने की मेरी कालावधि, स्थान और उन गतिविधियों के ब्यौरे, जिनके लिए मैं निरुद्ध रहा हूँ, सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्ररूप-1 में उल्लिखित हैं।
4. सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा के संबंध में मेरा आवेदन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिनांक द्वारा नामंजूर किया गया है। उक्त नामंजूरी आदेश की प्रति इसके साथ संलग्न है।
5. मैं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक से व्यथित हूँ। मैं इसके द्वारा निम्नलिखित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करता हूँ:-

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)

उपर्युक्त उल्लिखित आधारों पर निवेदन है कि कृपया आक्षेपित आदेश दिनांक को अभिखंडित किया जाये और मेरे पक्ष में सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा मंजूर की जाये।

संलग्न: आक्षेपित आदेश दिनांक की प्रमाणित प्रति

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं इसके द्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि ऊपर दिये गये ब्यौरे मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और जानकारी में सत्य और सही हैं।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

[संख्या प.9(1)/सा.प्र.वि./6/2024/3208]

नवीन जैन,

प्रमुख शासन सचिव।

GENERAL ADMINISTRATIVE (Gr-6) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, January 28, 2026

S.O.156 .-In exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Fighters of Democracy Honour Act, 2024 (Act No. 9 of 2025), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Fighters of Democracy Honour Rules, 2026.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Definitions.- (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

- (i) "Act" means the Rajasthan Fighters of Democracy Honour Act, 2024 (Act No. 9 of 2025);
- (ii) "Committee" means Committee specified in rule 5 of these rules;
- (iii) "Form" means form appended to these rules;
- (iv) "Section" means section of the Act; and
- (v) "State Government" means the Government of Rajasthan.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Honour money, Medical Assistance and Free Transport facility.- (1) The following honour money, medical assistance and free transport facility shall be provided to the eligible fighters of democracy under the Act, namely:-

- (i) honour money rupees twenty thousand per month;
- (ii) medical assistance rupees four thousand per month; and
- (iii) free transport facility in local and express buses of the Rajasthan State Roadways Transport Corporation.

(2) In case of death of the fighters of democracy, his/her spouse shall get honour money and medical assistance as specified in clause (i) and (ii) of sub-rule (1) above.

4. Application.- (1) For sanction of Honour money, Medical Assistance and Free Transport facility under the Act, the eligible fighters of democracy may submit an application in Form-I along with a certificate in support of his detention in jail or in police station for political or social reason given by the Superintendent of Jail or the Superintendent of Police, as the case may be and an affidavit to the effect that he/she is not receiving pension or honour money from any other State or District. However where official record related to detention is not available, the applicant's own affidavit and certificate as specified in sub-section (3) of section 6 of the Act, shall be accepted:

Provided that the fighters of democracy in whose favour pension payment orders were issued under the Rajasthan Lok Tantra Senani Samman Nidhi Rules, 2008 shall not require to submit fresh application under these rules.

(2) In case of death of the fighter of democracy, his/her spouse may submit an application in Form-II along with copy of marriage certificate or any other proof evidencing that he/she is husband or wife of deceased fighter of democracy, death certificate and copy of sanction order of honour money, medical assistance and free transport facility under the Act or rules repealed by the Act in favour of deceased fighter of democracy, within time specified in sub-

section (2) of section 8 of the Act, for sanction of honour money and medical assistance under the Act.

5. Committee and its functions.- (1) There shall be a committee in every district to scrutinise the applications received for sanction of honour money, medical assistance and free transport facility under the Act. The Committee shall consist of the following, namely:-

S. No.	Officer	Designation
1.	District Magistrate	Chairperson
2.	Commissioner of Police /District Superintendent of Police	Member
3.	District Jail Superintendent	Member
4.	District Social Welfare Officer	Member-Secretary.

(2) On receipt of an application under rule 4 of these rules, the committee shall scrutinise the application and make recommendation about eligibility or ineligibility of applicant to the District Magistrate.

(3) The District Magistrate, after considering the recommendation of committee, may issue sanction or rejection order of honour money, medical assistance and free transport facility under the Act.

(4) The District Magistrate shall issue an identity card in Form-III to a fighter of democracy in whose favour sanction order issued under sub-rule (3). An identity card issued under the Rajasthan Lok Tantra Senani Samman Nidhi Rules, 2008 shall be deemed to have been issued under these rules.

(5) Any person aggrieved by the order issued by the District Magistrate under sub-rule (3), may submit a representation in Form-IV to the State Government within thirty days from the date of such order.

(6) The fighters of democracy, who are receiving pension and medical assistance as per notification number P.9 (1) Sa.Pra.Vi./6/2023 dated 14.03.2024, shall get honour money, medical assistance and free transport facility from the date of commencement of these rules.

FORM-I

[see rule 4(1)]

Application for sanction of honour money, medical assistance and free transport facility

To

Photo

The District Magistrate

.....
.....

1. Name of applicant:
2. Father's name:
3. Present address:
4. Address at the time of detention:.....
5. Date of birth:
6. Name of spouse:.....
7. Proof of domicile of Rajasthan:
8. Period of detention in jail/Police Station (date of detention and release):
.....
9. Place of detention in jail/ Police Station and name of the district where it is situated:
.....
10. Details of activities for which he/she was detained:
.....
11. Provisions of law under which he /she was detained in jail/ Police Station:
.....
12. Reasons of release (whether he/she was released after apologizing or not):
.....

I hereby certify that the details given above are true to my personal knowledge and information.

Enclosure:

1. Certificate of the detention.
2. An affidavit to the effect that he/she is not receiving pension/honour money from any other State/District.

Signature of the applicant

Note: In case, where the official records related to detention in Jail/Police Station are not available, the applicant may submit an affidavit and certificate as per provisions of sub-section (3) of section 6 of the Act.

FORM-II

[see rule 4(2)]

Application by the spouse of deceased fighter of democracy for receiving honour money and medical assistance

To
The District Magistrate

.....

.....

Photo

1. Name of applicant:
2. Husband/Wife's name:
3. Address:
4. Whether applicant is a domicile of Rajasthan:
5. Date of death of husband/wife:.....

Enclose:

- (i) copy of marriage certificate or any other proof evidencing that he/she is husband or wife of deceased fighter of democracy;
- (ii) death certificate of fighter of democracy; and
- (iii) copy of sanction order of honour money, medical assistance and free transport facility in favour of deceased fighter of democracy.

I hereby certify that the details given above are true and correct to my personal knowledge and information.

Signature of applicant

Form-III
[See rule 5 (4)]



Government of Rajasthan
Identity Card
Fighters of Democracy

Photo

Name:
Father's name:
Husband/Wife name:
Sanction order No./date:
Date of Birth:
Residence Address:
.....
Mobile No.:

Signature & seal of District Magistrate

FORM-IV

[see rule-5(5)]

Representation under section 9 of the Act

To
State Government
through
the Secretary,
General Administrative Department
Rajasthan

I son/wife of shri..... aged.....years, resident of hereby submit representation under sub-rule (5) of rule 5 of these rules and state that,-

1. I am the domicile of Rajasthan.
2. I am Fighter of Democracy of the Rajasthan and detained in the jail during period of emergency.
3. My period, place of detention in jail and details of activities, for which I have been detained are mentioned alongwith relevant documents in Form-I.
4. My application regarding sanction of the Honour money, Medical Assistance and Free Transport Facility has been rejected by the District Magistrate.....vide order dated..... The copy of the said rejection order is hereby annexed.
5. I aggrieved by the order dated issued by the District Magistrate. I hereby submit representation on the following grounds:-

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)

It is requested on the above mentioned grounds that kindly quash the impugned order dated.....and sanction Honour money, Medical Assistance and Free Transport Facility in my favour.

Enclosed: Certified copy of the impugned order dated.....

Dated:

Signature of the applicant

Verification

I hereby verify that above details are true and correct to the best of my personal knowledge.

Dated.....

Signature of applicant

[F.9(1)/GAD/6/2024-3208]

NAVEEN JAIN,

PRINCIPAL SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.